राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 97/2025

सीता खण्डेलवाल –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलौच्य आदेश दिनांक 6.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापित स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चतरावाला सांगानेर जिला जयपुर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चाकसू वार्ड नंबर 14, जयपुर में किया गया है। (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक 14.11.2024 जारी कर समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों का निर्देशित कर अधिशेष शिक्षकों को अन्य स्कूलों में समायोजित करने के दिशा–निर्देश दिए है। जबकि अपीलार्थी नियमित कार्मिक है और अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापित स्कूल में पदस्थापन चयन प्रक्रिया से किया गया है। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1994 में अध्यापक ग्रेड–।।। के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पापदडा जिला दौसा में हुई है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्कूल में दिनांक 14.12.2022 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 6.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान पंचायतीराज ट्रांसफर एक्टीविटीज रूल्स 2011 के नियम 8 (ii) की अवहेलना में जारी किया गया है।

अपीलार्थी वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है और अपीलार्थी पर राजस्थान ट्रांसफर एक्टीविटीज रूल्स 2011 लागू होते है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलौच्य आदेश दिनांक दिनांक 6.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण एक पंचायत समिति सांगानेर से दूसरी पंचायत समिति चाकसू में किया गया है। इसलिए उक्त आलौच्य आदेश जिला परिषद जिला स्थापना समिति के बिना अनुमोदन के जारी किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज ट्रांसफर एक्टीविटीज रूल्स 2011 के नियम 8 (ii) के अनुसार हस्तांतरित कार्मिक के एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानांतरण जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के उपरांत की किये जा सकते है उक्त आलौच्य आदेश में जिला परिषद की जिला स्थापना समिति के अनुमोदन का उल्लेख नही किया गया है और नही आलौच्य आदेश की प्रति जिला परिषद, जयपुर को प्रेषित की गई है। इस प्रकार उक्त आलौच्य आदेश बिना सक्षम अधिकारी के जारी किया गया है। अपीलार्थी ने उक्त आलौच्य आदेश की पालना में स्थानांतरित स्कूल में कार्यग्रहण नही किया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी संख्या को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 6.12.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावें एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चतरावाला सांगानेर जिला जयपुर में निरंतर कार्यरत रखा जावें तथा वेतन का भूगतान भी वर्तमान पद से ही आहरित करवाने के निर्देश दिए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी कार्मिक के पूर्व पदस्थापन स्थान राउप्रावि चतरावाला, सांगानेर जयपुर में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दो कार्मिक कार्यरत थे तथा उक्त विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक का केवल मात्र एक पद स्वीकृत है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश दिनांक 14.11.2024 के आदेशानुसार अपीलार्थी कार्मिक के वर्णित विद्यालय में कनिष्ठ होने के कारण अपीलार्थी कार्मिक को अधिशेष होने के कारण निकटस्थ ब्लॉक के उपलब्ध स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक प्रस्तुत अपील के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी का स्थानांतरण/समायोजन पूर्णतया प्रशासनिक कार्य है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अनुमति अपील (सिविल) 36717/2017 नम्रता वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 में निम्नानुसार अभिमत प्रदान करते हुए विशेष अनुमति याचिका को खारिज/अस्वीकार किया गया है

"It is not for the employee to insist to transfer him/her and/or not to transfer him/her at a particular place. It is for the employer to transfer an employee considering the requirement.

The Special Leave Petition is dismissed- "

अतः प्रस्तुत अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अभिमत के आधार पर ही खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार एक पद पर दो कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में समक्ष स्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरांत अपीलार्थी कार्मिक का स्थानीय समायोजन जिले के ही उपलब्ध रिक्त पद पर किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका संख्या 18063/2019 श्री राजकुमार जांगिड़ बनाम् निदेशक माध्यमिक शिक्षा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.10.2019 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिमत प्रदान करते हुए प्रस्तुत याचिका को अस्वीकार कर खारिज फरमाया गया है यह मत प्रतिपादित किया है कि :–

"The petitioner has been transferred from one School to another School within the same District Churu itself. This court has already held that postings at different places within the same District wouid not come within the ambit of transfer. A Teacher/Lecturer who has been posted in one District can always be asked to perform his duties at different Schools/Colleges in the same district. The administrative discretion can be exercised in this regard and no interference is called for in such matters. The Tribunal has, therefore, rightly rejected the appeal of the petitioner, No interference is warranted."

अतः प्रस्तुत अपील भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अभिमत के आधार पर ही खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर.1991 एस.सी.532) के निर्णय में निम्न प्रकार अवधारित किया हैः–

"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer order are made in violation of any mandatory statutory Rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is Liable to be transferred from one place to the other, Transfer orders issued by the compentent authority do not violate any of his legal rights, Even if a transfer order is passed in violation of executive instructions or orders, the Courts ordinarily should not interfere with the order instead affected party should approach the higher authourities in the Department, If the Courts continue to interfere with day-to-day transfer orders issued by the Government and its subordinate authourities, there will be complete chaos in the Administration which would not be conducive to public interest."

अतः प्रस्तुत अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस प्रकरण में पारित अभिमत के आधार पर भी खारिज/अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी कार्मिक के पदस्थापन स्थान पर एक पद पर दो कार्मिक कार्यरत थे तथा अधिशेष समायोजन के सन्दर्भ में जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर विद्यालय में कार्यग्रहण की तिथि के आधार पर कनिष्ठ कार्मिक को अधिशेष होने के कारण उपलब्ध रिक्त पद पर राज्यहित/छात्रहित में समायोजित किया गया है तथा प्रस्तुत आलोच्य आदेश अपीलार्थी कार्मिक के नियुक्ति अधिकारी के स्तर पर जारी किया गया है जिसके

सन्दर्भ में अपीलार्थी कार्मिक माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी कार्मिक माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्मिक है तथा अपीलार्थी कार्मिक को उसके नियुक्ति अधिकारी के स्तर पर अधिशेष होने के कारण उपलब्ध रिक्त पद पर समायोजित किया गया है तथा ब्लॉक में वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) का रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण निकटस्थ ब्लॉक में अपीलार्थी को पदस्थापित करते हुए अपीलार्थी कार्मिक को नियमानुसार टी०ए० एवं डी०ए० भी अनुज्ञात किया गया है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश कों इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 6.12.2024 राजस्थान पंचायतीराज ट्रांसफर एक्टीविटीज रूल्स 2011 के नियम 8 (ii) की अवहेलना में जारी किया गया है और अपीलार्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित होने से उस पर राजस्थान ट्रांसफर एक्टीविटीज रूल्स 2011 लागू होते है।

हम यह पाते है कि अपीलार्थी के पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चतरावाला, सांगानेर जयपुर में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दो कार्मिक कार्यरत थे तथा उक्त विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक का केवल एक पद स्वीकृत है। अपीलार्थी कार्मिक के वर्णित विद्यालय में कनिष्ठ होने के कारण अपीलार्थी को विभागीय निर्देशों के अनुसार अधिशेष कर राज्य सरकार के निर्देश एवं प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर निकस्थ ब्लॉक में स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया गया है। अतः अपीलार्थी को अधिशेष किया जाना नियम संगत है।

अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में मुख्यतः इस आधार पर आलौच्य आदेश को चुनौती दी गई कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान पंचायतीराज ट्रांसफर एक्टीविटीज रूल्स 2011 के नियम 8 (ii) की अवहेलना में जारी किया गया है एवं अपीलार्थी का स्थानांतरण जिले के भीतर पंचायत समिति सांगानेर से दूसरी पंचायत समिति चाकसू में किया गया, जिसमें जिला परिषद की जिला स्थापना समिति का अनुमोदन होना जरूरी है। जबकि अपीलार्थी की तरफ से अपील में स्थानान्तरण आदेश के अतिरिक्त कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। अतः इसके अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि वह प्रारंभिक शिक्षा की कर्मचारी होने से हस्तान्तरित गतिविधिया नियम 2011 उस पर लागू होते है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब के अनुसार अपीलार्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग की कर्मचारी है, जिसका कोई प्रतिकार अपीलार्थी ने नहीं किया है। अपीलार्थी माध्यमिक शिक्षा की कार्मिक होने से उस पर हस्तान्तरित गतिविधियां नियम 2011 लागू नहीं होते है। अतः आलौच्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागीय निर्देशों

के अनुरूप जारी कर अपीलार्थी अधिशेष कर्मचारी होने से उसे निकटस्थ ब्लॉक में स्वीकृत रिक्त पद पर समायोजित किया गया है। जो पूर्णतः नियमानुसार है।

प्रस्तुत अपील में कोई सार एवं बल नहीं होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य